FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त उपखण्ड अधिकारी मुकाम [illegible]

मुकदमा [illegible] बनाम छुड़ाराम वगै०

कदमा प्रा०-पत्र 125 A नं. 87/20 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। अपीलार्थी सं 1 व 6 के अधिवक्ता को सुना गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रकरण विड्रॉ किये जाने का प्रा०-पत्र पेश किया। प्रा०-पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रा०-पत्र योग्य होने पर स्वीकार किया जाता है व प्रार्थी द्वारा प्रकरण विड्रॉ करने पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अ० धारा 25 को डिस्मिस पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार तो कार्यालय में एक माह तक [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:26:42 IST
Reason: SelfAttested